बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 5

10 चैत्र, 1939 (श.)

शुक्रवार, तिथि ----------

31 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 34

1.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	....	....	01
2.	शिक्षा विभाग	....	....	32
3.	खान एवं भूतत्व विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**34**

सम्मानित कबतक

***** 524. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल सम्मान समारोह का आयोजन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री खेल सम्मान समारोह में कैरमबोर्ड प्रतियोगिता भागी को भी शामिल किया गया था, परंतु बिहार सरकार द्वारा 1996 से 2012 तक यह सम्मान मिला, लेकिन 2012 से यह सम्मान बंद है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल सम्मान समारोह जो 2012 से कैरमबोर्ड प्रतियोगियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्या सरकार इसको पुन: चालू कर राज्य के बच्चे-बच्चियों को सम्मानित करना चाहती है ?

उत्तर - (क) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि खेल सम्मान समारोह का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) विभागीय अधिसूचना संख्या-43, दिनांक 04.07.2007 के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। कैरमबोर्ड खेल उक्त अधिसूचना के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में खेल सम्मान नहीं दिया गया। भविष्य में यदि कैरमबोर्ड खेल उक्त अधिसूचना के नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप पाया जाता है तो उन्हें निश्चित रूप से खेल सम्मान प्रदान किया जायेगा।

फीस पर अंकुश

***** 525. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना शैक्षणिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत के लोगों का कोटा के बाद पहली पसंद है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना में कोचिंग संस्थानों की भरमार है तथा सभी कोचिंग संस्थान मनमाने ढंग से फीस की वसूली करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित तिथि तक पंजीकरण कराने हेतु आदेश दिया है, परन्तु कोचिंग संस्थानों ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराकर फीस पर अंकुश लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियोजन नियमावली

***** 526**. श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों निदेशालयों द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए अलग-अलग नियोजन एवं सेवाशर्त्त नियमावली बनायी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि अलग-अलग नियोजन नियमावली बनाये जाने के फलस्वरूप सब कुछ समान होने के बावजूद नियोजन नियमावलियां अलग-अलग तिथि से प्रभावी होती हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अप्रशिक्षित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी 2015-2017 से अलग-अलग नियमावलियां बनाए जाने के कारण 2015-2017 में नामांकित प्राथमिक नियोजित प्रशिक्षुओं को वेतन का भुगतान हो रहा है, किन्तु 2015-17 में नामांकित माध्यमिक प्रशिक्षु शिक्षकों को अभी तक एक पैसे का भी भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सत्र 2015-2017 में नामांकित बी.एड. प्रशिक्षुओं को कबतक वेतन भुगतान सुनिश्चित करना चाहती है और क्या भविष्य में समान काम के लिए एक ही निदेशालय से नियोजन नियमावली बनाने का विचार रखती है ?

शौचालय का निर्माण

***** 527. **श्री सच्चिदानंद राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत प्रखंड गरखा की पंचायत मोतिराजपुर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन दिनांक 09.07.15 को किया गया है, जिसमें नामांकित छात्रों की संख्या 106 है, जबकि शिक्षक की संख्या 01 है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय भवनविहीन है जिसके कारण बच्चे खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण करते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालय में कक्ष हेतु कमरा, किचेन शेड, शौचालय का निर्माण तथा बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आदेश का अनुपालन

***** 528. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाषा, विज्ञान एवं गणित के हजारों से ज्यादा पद रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों के नियोजन में भाषा संस्कृत को शामिल नहीं कर वर्षों से पद रिक्त रखा गया है जिससे छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि निदेशक (मा. शिक्षा) ने राज्य की सभी नियोजन इकाइयों को भाषा-समूह में शामिल करने का निदेश दिया है जिसका अनुपालन आज तक नहीं हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक निदेशक (मा. शिक्षा) के आदेश का अनुपालन कराना चाहती है ?

अनियमितता की जांच

***** 529. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में दिनांक 22.07.2015 को हुई सिंडिकेट की बैठक में मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड स्थित देव

नारायण यादव महाविद्यालय के शासी निकाय तदर्थ समिति के सदस्य-सह-सचिव एवं प्राचार्य द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच निगरानी विभाग से कराने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि सिंडिकेट के निर्णय के आलोक में वित्तीय अनियमितता की जांच की अनदेखी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक निगरानी विभाग को पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' में वर्णित निर्णय के आलोक में महाविद्यालय में हो रही वित्तीय अनियमितता की जांच कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निगरानी विभाग को पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मैदान मुक्त कबतक

***** 530. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड के गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर डुमरा के क्रीड़ा मैदान में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का दो पम्प हाउस एवं कर्मचारी के लिए आवास बना हुआ है जो जर्जर, अनुपयोगी एवं मृतप्राय है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित जर्जर संरचना को ध्वस्त कर क्रीड़ा मैदान को मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्कूलों की स्थापना

***** 531. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने क्लास एक से आठ तक की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 21 हजार प्राथमिक स्कूल स्थापित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक 1773 विद्यालय के लिए जमीन और भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई;

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे स्कूलों को एक किलोमीटर के दायरे में चलने वाले प्राथमिक या फिर माध्यमिक स्कूलों से जोड़ दिया गया है जिसके कारण बच्चों को आने-जाने के साथ पढ़ाई में कठिनाई होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जमीन उपलब्ध कराकर कई बसावटों, गांव या टोला जिसमें प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई है, स्कूल का भवन बनाना चाहती है?

+2 का दर्जा

***** 532. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के कोच प्रखंड के दिग्घी गांव में 2011 में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया था;

(ख) क्या सरकार उक्त विद्यालय को +2 विद्यालय करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुविधाएं उपलब्ध नहीं

***** 533. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कुल 70934 सरकारी विद्यालय हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 70934 विद्यालयों में से मात्र 1018 विद्यालय ही मानक पर खरे उतर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के वैसे सरकारी विद्यालयों में जो मानक पर खरा नहीं उतर रहे हैं, में सभी सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पंजीयन प्रपत्र में शुद्धि

***** 534. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आर.डी. एंड डी.जे. कॉलेज, मुंगेर में 789 छात्र-छात्राओं के पंजीयन की राशि एवं चालान ससमय जमा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना द्वारा प्रकाशित सूचना एवं विज्ञप्ति संख्या-59/96 के आलोक में इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी के ऑनलाइन सूचीकरण प्रपत्र का समिति पटना से प्राप्त चेक लिस्ट में विज्ञान संकाय के चार छात्रों का नाम दो बार अंकित किया गया है जिसकी सूचना प्रधानाचार्य, आर.डी. एंड डी.जे. कॉलेज, मुंगेर ने अपने पत्रांक-418/16, दिनांक 16.02.2016 द्वारा सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को दिया है फिर भी प्रवेश पत्र एवं पंजीयन प्रपत्र में छात्र का नाम एवं पिता का नाम शुद्ध नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक-19/17, दिनांक 23.01.17 द्वारा संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ.मा.), पटना को सही छात्रों का नाम एवं पिता का नाम अंकित करने के लिए लिखा गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना द्वारा भेजे गए पंजीयन एवं प्रवेश पत्र में छात्र का नाम एवं पिता का नाम सही अंकित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शिक्षक की बहाली

***** 535. **श्री लालबाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, कहीं स्कूलों के भवन नहीं तो कहीं शिक्षकों की कमी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 12 हजार 392 शिक्षकों के पद खाली हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान सहित कई विषयों के शिक्षकों की बहाली करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अवैध अनुमोदन

***** 536. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कौशल संस्कृत उच्च विद्यालय, महुआ, वैशाली में 2007 से कौन-सी प्रबंध एवं तदर्थ समिति कार्यरत रही है तथा उक्त समिति द्वारा सहायक शिक्षक पद हेतु नियुक्ति में क्या यथा विज्ञापन अनुमोदित था, चयन प्रक्रिया एवं आरक्षण आदि का नियमावली अनुसार अनुपालन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी.डब्ल्यू.जे.सी.-18391/2010, दिनांक 06.01.2015 एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक-2399, दिनांक 14.03.2015 के बाद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के ही अपने आदेश 2965, 296, दिनांक 22.05.2015 द्वारा सहायक शिक्षक पद पर अनुमोदित की गई है जो क्या न्यायसंगत है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी.-18020/2013, दिनांक 11.03.2015 के पारित आदेश में विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (संस्कृत), बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकार नहीं माना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध अनुमोदन को रद्द करना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन खंडहर में तब्दील

***** 537. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा के टावर चौक के पास सन् 1920 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी, जो स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख केन्द्र था;

(ख) क्या यह सही है कि नेशनल स्कूल की इस ऐतिहासिक धरोहर का भवन आज खंडहर में तब्दील हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को प्रमुख शिक्षा केन्द्र के रूप में संचालित करने के लिए कौन-सा कदम उठाना चाहती है ?

शिक्षा की स्थिति

***** 538. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शैक्षणिक गुणवत्ता को मापने के लिए तैयार एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के वर्ष 2016 के सर्वे में यह खुलासा किया गया है कि बिहार में 15-16 वर्ष आयु वर्ग के 11.3 फीसदी छात्राएं, एवं 12.4 फीसदी छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सर्वे के मुताबिक राज्य में अब भी 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के तीन फीसदी बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते तथा 7 से 16 वर्ष की आयु के 4.5 फीसदी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते हैं, जबकि सरकारी दावा 1 फीसदी का है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की घोषणा के अनुरुप बिहार में शिक्षा की स्थिति चाहती है तो इसके लिए सरकार के पास कोई नीति है, जिसे वह सदन में बताना चाहती है, यदि हां तो नीति क्या है?

शिक्षकों का पदसृजन

***** 539. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, हिन्दी पहसौल में प्रधानाध्यापक एवं स्नातक स्तर के शिक्षक का पद सृजित नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में स्नातक स्तर के शिक्षक का पद सृजित नहीं रहने से छात्रों को पठन-पाठन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे जनसामान्य में क्षोभ व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, हिन्दी पहसौल में शीघ्र प्रधानाध्यापक सहित स्नातक स्तर के शिक्षकों का पद सृजित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि पर विचार

***** 540. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीनगर के औराई आर.बी.एस. अंगीभूत स्नातक कॉलेज में अपने भाषण के क्रम में महाविद्यालय की

चहारदीवारी, कॉमन रूम, सभा भवन एवं पानी आपूर्ति की मांग को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' के क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा उपरोक्त चहारदीवारी इत्यादि के निर्माण का प्रस्ताव प्राक्कलन के साथ शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भेजा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित महाविद्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को भेजे गए प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति तथा राशि को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों का दोहन

***** 541. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में योग्यता के अनुसार बी.आर.जी. एवं सी.आर.सी. के रूप में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होने से विद्यालय में पढ़ाई बाधित होती है एवं बी.आर.जी. एवं सी.आर.सी. के प्रतिनियुक्त शिक्षक विद्यालय में निरीक्षण कर बेवजह शिक्षकों का दोहन एवं परेशान करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बी.आर.जी. एवं सी.आर.सी. के रूप में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने का आदेश प्राप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंडों में बी.आर.जी. एवं सी.आर.सी. के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए मूल विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए लौटाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

शीघ्र व्यवस्था

***** 542. **श्री सोने लाल मेहता** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अधिकांश सरकारी विद्यालयों में गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के जानकार योग्य शिक्षक का सर्वथा अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र संबंधी प्रयोगशाला के अभाव में भी सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने का उल्लेख सरकारी प्रतिवेदनों में किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों में माननीय सांसद, माननीय विधायक-पार्षद, आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों एवं मुखिया संतानों की भी नामांकन अनिवार्य कराने से ही सभी विषयों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई एवं प्रयोगशालाओं में प्रयोग संबंधी पदार्थों, उपकरणों को उपलब्ध कराना सुलभ हो जाएगा, चूंकि इनकी संतानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की भावना जुड़ जाएगी और कुछ ही समय में विषयानुसार योग्य शिक्षक, प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, विद्युत, सड़क, शुद्ध पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध हो जाएगा;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'ग' के अभाव में किसी भी शिक्षा नीति से सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना संभव नहीं है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सभी नागरिकों को समान शिक्षा प्रणाली के तहत सरकारी विद्यालयों में खंड 'ग' के अनुसार शीघ्र व्यवस्था लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राजस्व की क्षति

***** 543. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत ईंट निर्माण हेतु 300 से ज्यादा फिक्स्ड चिमनी तथा बिना चिमनी के ईंट भट्टा का अवैध निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग में मात्र 218 चिमनी संचालकों का नाम दर्ज है जिसमें विभागीय आंकड़े के मुताबिक 50 लोग ही टैक्स की भरपाई कर पाते हैं तथा अन्य चिमनी संचालकों एवं माईन्स विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाकर अवैध कमाई का जरिया बनाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण में चल रहे अवैध ईंट निर्माण के चिमनी एवं भट्ठा संचालकों तथा खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अवैध कमाई का जरिया (साधन) बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

***** 544. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना के छज्जूबाग स्थित रेडियो स्टेशन के बगल में निर्मित हिन्दी भवन में दिनांक 09.04.2008 से अगस्त, 2015 तक चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान संचालित था;

(ख) क्या यह सही है कि संस्थान का अपना भवन बन जाने के फलस्वरूप अब वह मीठापुर में संचालित है;

(ग) क्या यह सही है कि हिन्दी भवन की देखरेख के लिए श्री रत्नेश यादव कार्यरत थे और प्रबंधन ने उनके वेतन का भुगतान अगस्त, 2015 तक किया है;

(घ) क्या यह सही है कि प्रबंधन संस्थान ने भवन का बिना चार्ज दिये अभी तक उसे अपने अधीन रखा है, लेकिन उसकी देखरेख के लिए नियुक्त श्री रत्नेश यादव का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे वे गरीब कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो गये हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रबंधन के निदेशक को श्री यादव के बकाये वेतन का भुगतान करने हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

निलंबन मुक्त

***** 545. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2016 के संचालन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं बिहार सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का पालन नहीं करने के आरोप में श्री विजय

कुमार सिंह, स.शि. श्री रविचन्द्र नाथ सिंह, स.शि. एवं श्री राजेन्द्र राय, स.शि. को निलंबित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण ने अपने जांच प्रतिवेदन में तीनों शिक्षकों को दोषी नहीं पाते हुए आरोप मुक्त कर दिया है, बावजूद इसके इनका निलंबन वापस नहीं लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण के जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री विजय कुमार सिंह एवं अन्य दोषी शिक्षकों को कबतक निलंबन मुक्त कर विद्यालय में पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है?

नियुक्ति का अनुमोदन

***** 546. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री अनीश कुमार पाण्डेय की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर सीवान जिलान्तर्गत एम.एस. उच्च विद्यालय, हुसेनगंज में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पत्रांक-42/03, दिनांक 03.03.2003 द्वारा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रबंध समिति की अनुमति से सत्र 2010-11 में श्री पाण्डेय ने बी.एड. की डिग्री भी प्राप्त की है;

(ग) क्या यह सही है कि निदेशक (मा. शिक्षा) ने अप्रशिक्षित होने के कारण अपने पत्रांक-65, दिनांक 21.01.2013 द्वारा श्री पाण्डेय की नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन देने से इनकार कर दिया है;

(घ) क्या यह सही है कि श्री पाण्डेय ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO. 4687/2013 दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 22.04.2016 के न्याय निर्णय द्वारा निदेशक (मा. शिक्षा) को निदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर इस मामले पर पुनर्विचार करते हुए श्री पाण्डेय के अनुमोदन की कार्रवाई सुनिश्चित करे;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में सरकार श्री पाण्डेय की नियुक्ति का अनुमोदन कबतक प्रदान करना चाहती है ?

बकाये वेतन का भुगतान

***** 547. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व विभाग/विश्वविद्यालय प्रशासन का है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय उच्च निदेशक ने ज्ञापांक-14/एम. 7-136/2015-632 पटना, दिनांक 11.05.2016 के द्वारा स्वीकृत पद मानते हुए भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा क्षेत्राधीन सर्वनारायण सिंह, राजकुमार सिंह महाविद्यालय, सहरसा में कार्यरत जन्तु विज्ञान विभाग में उपाचार्य डा. भूपेन्द्र प्रसाद सिंह का मार्च, 2015 से बंद बकाया वेतन एवं नियमित वेतन भुगतान करने का निदेश वि.वि. को दिया गया था, किन्तु इतने दिनों के बाद भी श्री सिंह की बकाया राशि/वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित आदेश के आलोक में वि.वि. द्वारा डा. भूपेन्द्र प्रसाद सिंह का वेतन/बकाया वेतन भुगतान करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वृत्ति उन्नयन योजना

***** 548. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि +2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत पूर्णकालिक अनुदेशकों की अभी तक सेवाशर्त्त नियमावली नहीं बनी है, साथ ही कैडर का निर्धारण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्णकालिक अनुदेशकों की सेवा 20 वर्षों के उपरांत वित्त विभाग के पत्रांक-7566, दिनांक 14.07.2010 के निहित प्रावधान के बाद भी रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 का लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इनकी सेवाशर्त्त नियमावली बनाने, कैडर का निर्धारण करने एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतन वृद्धि का लाभ

***** 549. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-971, दिनांक 31.08.2013 द्वारा छठे वेतनमान की स्वीकृति एवं भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार इन शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सेवानिवृत्ति की सीमा

***** 550. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक-15/एम 1-117/2013-341, दिनांक 19.02.14 के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों की भांति राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-6747, दिनांक 30.07.15 के अनुसार बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक की सेवानिवृत्ति की आयु 67 वर्ष, 65 वर्ष से बढ़ाकर की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़कर 67 वर्ष करना चाहती है ?

प्रधानाध्यापक बनाने पर विचार

***** 551. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रा. श्री गजाधर रामलगन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहवाहिनी, सीतामढ़ी में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापांक-265, दिनांक 29.01.16 के आलोक में दिनांक 31.01.16 से माध्यमिक शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मेधा अंक के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने का दावा प्रस्तुत किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पुराने शिक्षकों से संबंधित मामले में पटना उच्च न्यायालय, पटना के सी.डब्ल्यू.जे.सी.-997/09 में +2 शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों से 12 वर्ष वरीय होने का न्यायादेश पारित किया गया है तथा इसी के आलोक में पूर्व में 12 वर्ष की वरीयता उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को देते हुए शिक्षा विभाग ने प्रमंडल स्तरीय शिक्षकों की वरीयता निर्धारण का आदेश दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार एम.ए. एवं बी.एड. प्रशिक्षित तथा वरीय वेतनमान प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री संतोष कुमार सिंह को रा. श्री गजाधर रामलगन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहवाहिनी, सीतामढ़ी का प्रधानाध्यापक बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नियोजन करने का विचार

***** 552. **श्री लालबाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूर्व से टी.ई.टी उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है जिनका नियोजन नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रारंभिक शिक्षकों के वर्ष 2012 के ही लगभग 86 हजार पद (उर्दू एवं बांग्ला शिक्षकों को छोड़कर) रिक्त हैं;

(ग) क्या यह सही है कि रिक्तियों एवं पूर्व से टी.ई.टी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रहते हुए भी सरकार नये टी.ई.टी का आयोजन करने जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नये टी.ई.टी का आयोजन न कराकर पूर्व से टी.ई.टी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियोजन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्थानांतरण रद्द कबतक

***** 553. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण समिति की कार्य प्रणाली को सुदृढ करने हेतु वहां के कर्मियों का स्थानांतरण अन्यत्र किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अपने चहेते कर्मियों को पुन: माध्यमिक विभाग में मनमाने तरीके से वापस लाया गया है, जिससे वहां की कार्य प्रणाली प्रभावित होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानांतरण समिति की कार्य प्रणाली सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सचिव द्वारा पूर्व स्थान पर बुलाए गए कर्मियों का स्थानांतरण रद्द करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रकाशन की अनुमति

***** 554. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मैथिली के प्रख्यात कथाकार प्रो. हरिमोहन झा की पुस्तक 'बीछल कथा' का प्रकाशन मैथिली अकादमी द्वारा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली ने उस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए मैथिली अकादमी को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है;

(ग) क्या यह सही है कि अनेक पत्र लिखने के बावजूद मैथिली अकादमी से अबतक कोई उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मैथिली अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्गीय झा की साहित्यिक प्रतिभा के प्रसार हेतु साहित्य अकादमी को कबतक प्रकाशन का अनुमति पत्र देना चाहती है, अगर नहीं तो क्यों ?

मंहगाई भत्ता का भुगतान

***** 555. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की कटौती की गई मंहगाई भत्ता की राशि का सूद सहित भुगतान करना था;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश 12 फरवरी, 2015 के बावजूद आज तक उन संस्कृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता का भुगतान नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उन गरीब संस्कृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का भुगतान शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुशासनिक कार्रवाई

***** 556. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अपने कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक-7/विविध-35/15 अंश 'क' -1068/पटना, दिनांक 22.09.16 के द्वारा किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने का आदेश निर्गत है तथा ऐसा करने वाले पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रावधान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' में वर्णित पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त शिक्षकों को मूल विद्यालय में वापस करने तथा प्रतिनियुक्त करनेवाले पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतन भुगतान करने पर विचार

***** 557. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के शिक्षकों का वेतन लगभग छः माह से नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 31 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्